प्र.सं. ................../ दावा / प्र.पत्र / ........................

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 28/8/25 | तामील पत्र हुए अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली माफिक कार्यवाही हेतु दिनांक 18/9/25 को पेश हो (हस्ताक्षर) |
| 18/9/25 | तामील पत्र हुए अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली माफिक कार्यवाही हेतु दिनांक 24/9/25 को पेश हो (हस्ताक्षर) |
| 24/9/25 | वकील प्रार्थी उप. । बहस प्रा.पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 29/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) |
| 29/9/25 | तामील पत्र हुए अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली माफिक कार्यवाही हेतु दिनांक 1/10/25 को पेश हो (हस्ताक्षर) |
| 1/10/25 | वकील प्रार्थी उप. । प्रा०पत्र प्रार्थी U/S 251 A RTAct स्वीकार किया जाकर नवीन रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा. मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) |

Scanned with OKEN Scanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

| ल नं0 | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 6/प्रा0पत्र/2020 | 06.11.2020 | 01.10.2025 |

धर्मचन्द जैन आत्मज श्री पाथूलाल जाति महाजन आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. लालसिंह आत्मज श्री हरनाथ सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।
2. गजराज सिंह आत्मज श्री हरनाथ सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।
3. राजेन्द्र सिंह आत्मज श्री हरनाथ सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।
4. भँवर कँवर पुत्री श्री हरनाथ सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।
5. श्याम कँवर पुत्री श्री हरनाथ सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।
6. नन्द कँवर पत्नी श्री हरनाथ सिंह जाति राजपूत आयु व्यस्क नि. ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 ।
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री हिम्मत सिंह

अधिवक्ता अप्रार्थी :– श्री नन्दसिंह

## निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त में
तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा सं. 953 रकबा 3 बिस्वा गै.मु.
चाह, खसरा सं. 954 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 में विस्थित
है। प्रार्थी कृषि भूमि खसरा सं. 954 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा सिंचाई हेतु कृषि भूमि खसरा सं. 953 रकबा
3 बिस्वा पर कुआँ खुदवा रखा है जिससे कृषि भूमि खसरा सं. 954 सिंचाई कर कृषि कार्य करता है। कृषि
भूमि खसरा सं. 953 पर आने जाने के लिये कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिये टैक्टर ट्रोली इत्यादि लाने
ले जाने के लिये अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा सं. 952 रकबा 2 बीघा जो वाके ग्राम डाबी में प्रार्थी की
कृषि भूमि खसरा सं. 953 के उत्तरी दिशा में स्थित है पर बने हुये 20 फिट चौड़े रास्ते का उपयोग उपभोग
अपने पिता की जीवित अवस्था से ही करता चला आ रहा है जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को भी है। प्रार्थी
के पास अपने खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 953 आने जाने के लिये अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा
सं. 952 में विस्थित रास्ते का ही उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज
नही है, राजस्व नक्शे में तरमीम नही है। इसका फायदा उठाकर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को कृषि भूमि खसरा सं.
952 में विस्थित रास्ते का उपयोग उपभोग करने से इनकार कर दिया। प्रार्थी के पास स्वंय की खातेदारी की
कृषि भूमि खसरा सं. 953 में आने जाने के लिये कोई वैकल्पिक दूसरा रास्ता मौजूद नही है। वर्तमान में रास्ते
के अभाव में प्रार्थी की कृषि उपज भी खेत पर ही पड़ी हुई है। प्रार्थी ने ग्राम डाबी में ही अप्रार्थीगण से सहमति
बतौर खसरा सं. 952 में से रास्ता निकालने, उसकी ऐवज में पैसे देने की दिनांक 01.11.2020 को चर्चा की

उक्त रास्ता देने बाबत प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य सहमति नही बनी। अप्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 1.2020 को सहमति से रास्ता नही देने के कारण प्रार्थी के पास न्यायालय श्रीमान् के समक्ष कृषि भूमि सरा सं. 952 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम डाबी में से 20 फिट चौड़ा रास्ता कृषि भूमि खसरा सं. 953 तक की पहुचे के लिये उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध उत्पन्न हुआ, जो निरन्तर जारी है। प्रार्थी के द्वारा उक्त आवेदन प्रत्र रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता के कारण हीं प्रस्तुत किया जा रहा है। भूमि के अन्य लाभ एवं मुल्य वृद्धि हेतु नही पेश किया जा रहा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा सं. 953 रकबा 3 बिस्वा जो वाके ग्राम डाबी में विस्थित है पर पहुचें के लिये नवींन मार्ग कृषि भूमि खसरा सं. 952 रकबा 2 बीघा जो वाके ग्राम डाबी में विस्थित है मे से 20 फिट चौड़ा रास्ता राजस्व नक्शे में, तरमीम करने एवं राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने हेतु अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अप्रार्थी सं0 07 तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 2116 दिनांक 31.05.2025 एवं पत्रांक 216 दिनांक 17.01.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि वर्तमान में उक्त भूमि तक पहुंच हेतु राजस्व नक्शा एवं मौका अनुसार कोई मार्ग नहीं है। ख0सं0 952 के उत्तरी पूर्वी कोने तक एक कच्चा मार्ग बना हुआ है वह मार्ग भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त मौके पर बने हुए मार्ग से अपने खेत ख0सं0 952 तक पहुंच हेतु रास्ता चाहा गया है। वर्तमान में ख0सं0 940 ख0नं0 952 के मध्य कोट बना हुआ है। तथा उत्तर में ख0सं0 651 गै0मु0 चाह स्थित है जिसे वर्तमान में भरा जा चुका है। पूर्व में प्रार्थी ख0नं0 951 मे से होते हुए ख0सं0 940 व ख0नं0 952 में से समान चौड़ाई के रास्ते का प्रयोग करते हुए अपने खेत मे कृषि कार्य करता हुआ पहुंचता था। संलग्न मौका नक्शानुसार आवेदक की भूमि पर पहुंच हेतु ख0सं0 952 रकबा 0.3237 वाके ग्राम डाबी में से प्रस्तावित किया गया है। जिसमें से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 0.04080 हैक्टे0 होगी।

पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तावित मार्ग हेतु सहमति व्यक्त की।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में नकल जमाबंदी खाता संख्या 70 वाके ग्राम डाबी पटवार हल्का डाबी सम्वत् 2072 एवं नकल जमाबंदी खाता संख्या 194 वाके ग्राम डाबी पटवार हल्का डाबी सम्वत् 2072 एवं नक्शा की प्रति पेश की।

वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंच हेतु न्युनतम रास्ता तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उपयुक्त है अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की भूमि पर नहीं होने से प्रार्थी को अपनी भूमि पर पहुंच हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंच हेतु न्युनतम होना अवगत कराते हुए रास्ता हेतु सहमति व्यक्त की।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी की भूमि तक पहुंच हेतु वर्तमान में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तावित रास्ता भूमि ख0सं0 952 वाके ग्राम डाबी से न्युनतम दूरी का है तथा नियमान्तर्गत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

Scanned with OKEN Scanner

# आदेश

परिणामतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि खसरा सं. 953 रकबा 3 बिस्वा गै.मु. चाह, खसरा सं. 954 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 में सिंचाई प्रयोजन/पहुंच के लिए खातेदार गजराज सिंह , नन्दकंवर, भंवर कंवर, राजेन्द्रसिंह, लालसिंह, श्यामकंवर की भूमि ख0सं0 952 रकबा 0.3237 वाके ग्राम डाबी में से 0.04080 हैक्टे. भूमि पर संलग्न नक्शा अनुसार नया मार्ग सृजित किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित किया जावे तथा रास्ता का सीमांकन किया जावे। राजस्व अभिलेखों में उक्त रास्ता दर्ज करने से पूर्व प्रार्थीगण से रास्ते में उपयोग आने वाली भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 राशि का दुगुना राजकोष में नियमानुसार जमा किया जावे तत्पश्चात् राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता अभिलिखित किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते के रूप मे दर्ज होने वाली भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में ही करेंगे, उस रास्ते पर कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे। आदेशानुसार पालना हेतु तहसीलदार तालेडा एवं प्रार्थीगण को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

**(मनस्वी नरेश)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**तालेडा**

Scanned with OKEN Scanner